Shodh Sangam Patrika
E-ISSN: 3049-0707, P-ISSN: 3049-172X, Volume 2 | Issue 2 | (Apr – Jun 2025)

आदिवासी उत्थान में डॉ० आंबेडकर का योगदान

डॉ० अलका कल्याण
सहायक प्राध्यापिका, राजकीय महाविद्यालय एस०ए०एस० नगर मोहाली, पंजाब

सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र में आदिवासी समुदाय के विकास तथा उत्थान में डॉ० बी० आर० आंबेडकर के योगदान को प्रकाशित किया गया है चूंकि डॉ० आंबेडकर को केवल एक दलित नेता के तौर पर स्थापित कर दिया गया है। जबकि उन्होंने महिला, बाल तथा आदिवासी उत्थान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। संविधान सभा में दलितों के नेता के रूप में डॉ० आंबेडकर तो आदिवासी समाज के प्रतिनिधित्व के रूप में जयपाल सिंह मुंडा खड़े थे। शोध पत्र में इन दोनों नेताओं के दलित तथा आदिवासी उत्थान के लिए गए फैसले तथा आपसी संवाद को चित्रित कर तत्कालीन परिस्थितियों को दिखाया गया है। इसके साथ भिन्न-भिन्न काल खंड में आदिवासियों को जिन नामों से पुकारा गया उसका विवरण भी उपलब्ध है। संविधान में आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत रखने और संविधान में आदिवासियों के अधिकारों का विवरण शोध प्रत्र में प्रस्तुत है।

मुख्य शब्द: आदिवासी, अनुसूचित जनजाति, डॉ० आंबेडकर, जयपाल सिंह मुंडा, दलित, आदिवासी महासभा, संविधान सभा, अनुसूचित क्षेत्र, आरक्षण।

परिचय:-

भारत जनजातीय बहुल देश माना जाता है जो भारतीय समाज की व्यापक विविधता को दर्शाते हैं। जनजातीय संस्कृति भारतीय संस्कृति का मूल है। साधारणत आदिवासी किसी भी स्थान में रहने वाली वहाँ की सबसे पहली और पुरानी मानव जाति के लोगों को कहा जाता है जिन्होंने उस जगह की आदिम संस्कृति तथा जीवन शैली को आज भी सुरक्षित और संरक्षित रखा हुआ है।

भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्व० श्री जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें आदिवासी कहकर संबोधित किया है। इस बात का संकेत उनके एक भाषण में मिलता है जो उन्होंने जून 1952 में नई दिल्ली में हुए अनुसूचित आदिमजाति तथा अनुसूचित क्षेत्र सम्मेलन में 'आदिवासी लोग' शीर्षक से दिया था-

"मैं प्रधानमंत्री बनने से बहुत पहले से ही इस देश के आदिवासियों की ओर आकर्षित रहता था। यह आकर्षण का भाव सिर्फ एक पर्यवेक्षक की अज़ीबोगरीब रीति-रिवाज़ देखने की उत्सुकता का भाव नहीं था और न ही मुझ में किसी ऐसे व्यक्ति के भाव थे जो दूसरों का भला करना चाहता है। मेरा उनके प्रति आकर्षण केवल इसलिए था कि मैं उनके बीच रहकर प्रसन्नता और अपनत्व का अनुभव करता था। हमें आदिवासियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण रखना चाहिए। हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, उनसे सीखकर हमें उनकी सहायता

करनी चाहिए और उनको सहयोग देना चाहिए। ये लोग अत्यंत अनुशासित होते हैं, कभी-कभी तो भारत के अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक लोकतान्त्रिक।"

1891 की जनगणना रिपोर्ट में तत्कालीन जनगणना आयुक्त जे. ए. बैन्स ने जनजातियों को "वन्य जातियाँ" कहा था। 1891 से 1947 तक की जनगणना रिपोर्ट में उन्हें विभिन्न नामों से अभिहित किया गया है- 'जीववादी', 'जनजातीय जीववादी', 'पर्वतीय और वनीय जनजातियाँ', 'आदिम जनजातियाँ' आदि।

गांधीवादी विचारक और समाज सेवी अमृतनाथ विठ्ठलनाथ ठक्कर(ठक्कर बापा) ने जनजातियों के लिए 'आदिवासी' शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। वेरियर एल्विन ने भी अपनी पुस्तक "एबोरिजनल्स" (1943) में इन्हें 'आदिवासी' नाम से सम्बोधित किया है।

वहीं गाँधी जी ने आदिवासियों को 'गिरिजन' और दलितों को 'हरिजन' कहकर सम्बोधित किया। आदिवासी नेता जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान में 'आदिवासी' शब्द रखने की बात की। इस शब्द के माध्यम से वे आदिवासी समुदाय के लिए स्वायत्ता और उनके मूलनिवासी होने का दावा करना चाहते थे। महात्मा फूले अपनी पुस्तक 'गुलामगिरी' में लिखते हैं कि, "इस देश के मूलनिवासी दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग यानी शुद्र-अतिशूद्र हैं। जिन पर विदेशी आर्यों ने छल-बल से जीत हासिल कर उन्हें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक गुलामी में धकेल दिया। दक्षिण भारत के नेता पेरियार ने भी संस्कृत के मूल साहित्य का गहन अध्ययन कर मूलनिवासियों की ठीक यही परिभाषा दी थी। 70 के दशक में दलित पैंथर आन्दोलन के फलस्वरूप दलित शब्द अधिक प्रचलित हुआ तो इसके सदस्यों ने दलित की परिभाषा देते हुए इसमें पूर्ववर्ती अछूत यानी शेड्यूल कास्ट्स, आदिवासी, तमाम जातियों की महिलाएँ, अल्पसंख्यक सहित तमाम वंचित तबकों को शामिल किया।"

मुख्य भाग:-

इस तरह आदिवासी शब्द की यह सीमा थी कि इसका कोई कानूनी आधार नहीं था। यह शब्द ठीक 'दलित' शब्द की तरह ही था, जिसका गहरा आन्दोलनकारी अर्थ है लेकिन कोई निश्चित परिभाषा नहीं। इसी उलझन के चलते बाबासाहेब ने संविधान में दलित वर्ग के लिए अपने द्वारा उपयोग किए जाने वाले डिप्रेस्ड क्लास की जगह 'शेड्यूल कास्ट्स' का प्रयोग किया। आदिवासी शब्द के साथ भी यही असमंजस्य की स्थिति देखते हुए उन्होंने इसके लिए एक कानूनी शब्दावली 'शेड्यूल ट्राइब्स' का उपयोग किया। अपनी इस बात को स्पष्ट करते हुए बाबासाहेब के कहा-

"मैंने 'जनजाति' के लिए 'शेड्यूल ट्राइब' (अनुसूचित जनजाति) शब्द का इस्तेमाल किया क्योंकि इसका एक पक्का और मुकम्मल अर्थ है, जैसा आप दो शेड्यूल में देखते हैं। जबकि 'आदिवासी' एक सामान्य शब्द है जिसका कोई विशिष्ट कानूनी आधार नहीं है। यह शब्द कुछ अछूत के जैसा एक सामान्य शब्द है। अछूत श्रेणी में कोई भी किसी को भी शामिल कर सकता है। इसकी कोई कानूनी परिभाषा तय नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया एक्ट 1935 ने 'अछूत' वर्ग को एक कानूनी पहचान दी ताकि विभिन्न भागों में रहने वाले जनसमुदाय जो वहाँ रह रहे लोगों द्वारा अछूत करार दिए गए हों, को इस श्रेणी में रह सकें। यही बात आदिवासी के सम्बन्ध में भी लागू होती है। यह जानना जरूरी है कि आदिवासी कौन है? संविधान के लिए भी यह जानने

के मायने है, क्योंकि संविधान के माध्यम से हम इन आदिवासियों को कुछ प्रावधान और कुछ अधिकार देना चाह रहे हैं इसलिए यदि यह मामला कोर्ट में गया कि ये आदिवासी कौन है, तो इसके लिए निश्चित परिभाषा होनी चाहिए। इसके लिए हमने एक नए शब्द की रचना की है, जो 'शेड्यूल ट्राइब' (अनुसूचित जनजाति) है, जिससे हम आदिवासी कहे जाने वाले समूहों को समाहित करेंगे... मैं समझता हूँ कि इससे जयपाल सिंह संतुष्ट होंगे।"

अब भारतीय संविधान में आदिवासियों के लिए 'अनुसूचित जनजाति' शब्द प्रयुक्त होता है। "वर्ष 1950 में संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा आदिवासियों को 'अनुसूचित जनजाति' के तौर पर परिभाषित किया गया था। वर्ष 1960 में चंदा समिति ने अनुसूचित जनजातियों की भौगोलिक पृथकता, विशिष्ट संस्कृति, अन्य समुदायों के मुकाबले आर्थिक और शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ेपन, संकुचित स्वभाव, आदिम लक्षण जैसे मानक निर्धारित किए थे जिसके तहत किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाता है।

बाबा साहेब ने आदिवासियों की बात केवल भावनात्मक रूप में ही नहीं उठाई, बल्कि उन्होंने बड़े व्यवहारिक तरीके से आदिवासी हितों की बात सबके सामने रखी। डॉ० आंबेडकर ने कभी भी अपने को किसी समुदाय विशेष के संकुचित दायरे में नहीं रखा। वर्ष 1920 के अपने प्रथम सार्वजनिक मंच 'बहिष्कृत हितकारिणी सभा' के माध्यम से उन्होंने दलितों की शिक्षा की मांग उठाई। इस वक्त इनकी दलित की परिभाषा के अंतर्गत न सिर्फ तत्कालीन अस्पृश्य थे बल्कि आदिवासी भी शामिल थे। अपनी पुस्तक "Philosophy of Hinduism"(हिंदुत्व का दर्शन) में लिखते हैं:

"इन वर्गों की कुल जनसंख्या को देखिए, प्रिमिटिव ट्राइब की संख्या ढाई लाख है, आपराधिक जनजाति की संख्या 40 लाख और अछूतों की संख्या 50 करोड़ है। कुल मिलाकर इनकी संख्या 7.9 करोड़ है।"

तब देश ब्रिटिश हुकूमत से देशी सरकार के हस्तांतरण मोड़ पर था इसलिए तब ब्रिटिश सरकार का सबसे बड़ा एजेंडा यह था कि देश के निर्माण में सभी छोटे-बड़े समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। खासतौर पर उन समुदायों की जो वंचित और शोषित है तथा अपने हक़ के लिए संघर्षरत हैं। इस श्रेणी में मुख्यतः तीन समुदाय थे, जिनमें पहला धार्मिक अल्पसंख्यक तबका मुस्लिम, सिख, ईसाई और दूसरा दलित एवं तीसरा वर्ग बहुसंख्यक हिंदुओं का। ब्रिटिश सरकार ने अब वर्ग को छोड़कर समुदाय आधारित प्रतिनिधित्व की राजनीति अपनाई। वह हर समुदाय के पृथक प्रतिनिधि को ही मान्यता देने लगे। ऐसे में देश के तमाम पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले बाबा साहेब को मजबूरन साइमन कमिशन द्वारा पूछे जाने पर कि क्या वे आदिवासी समाज का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? उन्हें उत्तर नकारात्मक रूप से देना पड़ा। उस समय उन्हें अपनी बहिष्कृत हितकारिणी सभा के ज्ञापन में वर्णित दलित की परिभाषा जिसमें उन्होंने अस्पृश्य के साथ-साथ आदिवासी तबके को भी शामिल किया था, को सीमित कर इसमें केवल तत्कालीन अस्पृश्य तबके को ही रखना पड़ा।

तीसरे गोलमेज सम्मेलन के समय जब गाँधी जी ने डॉ० आंबेडकर के दलित प्रतिनिधित्व को चुनौती दी, तब उन्होंने अपने समर्थन में देश के कोने-कोने से आए दलितों के टेलीग्रामों को दिखाकर गाँधी जी के विरोध का

तार्किक उत्तर दिया था। लेकिन ऐसे समय में यदि उन पर आदिवासी प्रतिनिधित्व को चुनौती मिलती तो यह शत-प्रतिशत सत्य होता कि उन्हें किसी भी एक आदिवासी का समर्थन पाने में टेलीग्राम नहीं मिलता इसलिए कहीं अन्य वंचित तबकों को शामिल करने के प्रयास में शोषित वर्ग दलित का प्रतिनिधित्व भी खटाई में पड़ सकता था इसलिए उन्होंने समय की नजाकत को भांपते हुए तब तक अपने आप को सीमित किया, जो भारत की आज़ादी तक कायम रहा, लेकिन जैसे ही संविधान निर्माण में वे प्रमुख भूमिका में आए, तो उन्होंने एक बार फिर स्वयं को देश के तमाम वंचित समुदायों के लिए समर्पित कर दिया। यह वह समय था जब आदिवासी समुदाय से एक सशक्त और काबिल नेता जयपाल सिंह मुंडा का पदार्पण हो चुका था। वे महान आदिवासी नेता इसलिए भी थे, क्योंकि इन्होंने आदिवासी संघर्ष को नई दिशा दी और अपने क्रांतिकारी पूर्वजों से अलग आदिवासी आन्दोलन को संवैधानिक तरीके से लड़ने की शुरुआत की। जयपाल सिंह मुंडा ने आदिवासी महासभा की स्थापना की और बिहार सामान्य सीट से संविधान सभा में प्रवेश किया क्योंकि उस समय दलित और आदिवासियों के लिए राजनीतिक आरक्षण लागू नहीं हुआ था।

अंबेडकर ने आदिवासियों के सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन को स्पष्ट रूप से पहचाना। वह जानते थे कि आदिवासी वे लोग हैं जो बाहरी समाज के किसी भी तरह के प्रभाव से परे हैं। उनके पास वन संसाधनों पर स्वायत्तता और अधिकार हैं। लेकिन औपनिवेशिक शासन के दौरान अंग्रेजों के आगमन के साथ ही उनके वन कानूनों और स्थाई बन्दोबस्त जैसे कानूनों के कारण वे अपने सभी विशेषाधिकार खो चुके थे । ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारी मात्रा में कच्चे माल के लिए रेलवे और सड़क मार्ग जैसी आधुनिक परिवहन प्रणालियों का निर्माण किया और आदिवासियों पर राजस्व लगाकर और नए वन कानून बनाकर वन संसाधनों को नियंत्रित करने के लिए उनके श्रम का शोषण करने की नीति अपनाई। जिसके परिणामस्वरूप आदिवासी समुदायों का दूरगामी शोषण हुआ। आदिवासी समुदायों द्वारा साझा किए गए इन सभी शोषणकारी अनुभवों ने कार्यवाही के उस मार्ग को तैयार किया जिसका नेतृत्व अंबेडकर कर रहे हैं। उन्होंने अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित विशेष प्रावधानों के लिए पांचवीं अनुसूची और छठी अनुसूची का मसौदा तैयार किया। इन अनुसूचियों के निर्माण का विचार भारत में आदिवासी समुदायों को अपने जीवन, संस्कृति और प्रशासन पर प्राकृतिक, पारंपरिक स्वायत्तता को बनाए रखने में मदद करना था।

पांचवीं तथा छठी अनुसूची पर उठाए गए मुद्दों का जवाब देते हुए डॉ० आंबेडकर कहते हैं :

“इसमें दो किस्म के क्षेत्र है-अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र। जनजातीय क्षेत्र जहाँ आसाम प्रान्त से सम्बन्धित है, वहीं अनुसूचित क्षेत्र वे इलाके हैं जो आसाम के बाहर के हैं। ये वास्तव में वे ही नाम है जिन्हें गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया एक्ट में ‘पार्श्ली एक्सक्लूडेड एरिया’ कहा जाता है । इससे अधिक इसमें कुछ नहीं है। इन दोनों ही क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। इनमें अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाले और जनजातीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों में फर्क इतना है कि अनुसूचित क्षेत्र में रहनेवाले अनुसूचित जनजाति पांचवीं अनुसूची पैरा 5 से शासित होंगे। जिसके अनुसार संसद द्वारा या क्षेत्रीय विधानसभा द्वारा पारित साधारण कानून अपने आप लागू नहीं होता। वहीं जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों का मामला थोड़ा अलग है।

यहाँ संसद अथवा विधायिका से बनाया हुआ कानून जनजातीय क्षेत्र में लागू होगा, दूसरे में यह तब तक लागू नहीं होगा, जब कि इसे वहाँ तक शामिल न किया जाए।"

जैसे ही बाबासाहेब संविधान निर्माण में प्रमुख भूमिका में आए, तो उन्होंने संविधान सभा में मनोनीत सात आदिवासी सदस्यों जिनमें जयपाल सिंह मुंडा भी शामिल थे, के साथ परामर्श करने के बाद संविधान में जनजातीय समुदायों के लिए विशेष प्रावधान किए । एकीकरण की नीति में ये स्वीकार किया गया कि जनजातियों का विकास उन्हीं की पृष्ठभूमि में और उसी भौगोलिक पर्यावरण में किया जाना चाहिए। इस प्रकार जहां इस नीति के तहत जनजातियों को देश के विकास की धारा से जोड़ने के लिए योजनाएं बनाई गईं, वहीं इस बात का भी पूरा ध्यान रखा गया कि उनकी सांस्कृतिक परम्पराएं खंडित न हों और वे क्रमिक रूप से विकास के मापदंडों को स्वीकार करें।

26 जनवरी 1950 से देश का संविधान लागू होने के बाद सम्पूर्ण भारतीय जनजातियाँ अत्यधिक रूप से प्रभावित हुईं क्योंकि अब इनके क्षेत्रों के शासन का दायित्व केंद्र एवं राज्य सरकारों का हो गया था। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत में एक व्यापक संविधान का निर्माण हुआ जो हर भारतीय पर समान रूप से लागू किया गया। संविधान की कई ऐसी धाराएं हैं जो केवल अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर ही लागू होती हैं।

संविधान जनजातियों को निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है –संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 15 द्वारा किसी प्रकार का भेदभाव निषेध किया गया है। "अनुच्छेद 15(4) के अनुसार कोई भी बात राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों की उन्नति के लिए तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबन्ध करने में बाधा उत्पन्न नहीं करेगी।अनुसूचित जनजातियों के उत्थान हेतु विशेष व्यवस्था की जा सकती है।

अनुच्छेद 16(4) के अनुसार राज्य सरकार उन पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए नियुक्तियाँ या पदों के आरक्षण के लिए प्रावधान कर सकती है जिनका राज्य की अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।

मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के स्वतन्त्रता के अधिकार को अनुच्छेद 19 में स्पष्ट किया गया है। "अनुच्छेद 19(1) डी, ई, एफ में भ्रमण एवं आवास, व्यवसाय की स्वतन्त्रता की व्यवस्थाकी गई है। इस अनुच्छेद के अनुसार सभी नागरिक भारत में स्वतन्त्रतापूर्वक भ्रमण कर सकते हैं तथा भारत के किसी भाग में रहने का उन्हें अधिकार प्राप्त है। कोई भी नागरिक किसी भी प्रकार का व्यवसाय कर सकता है।

शोषण के विरुद्ध अधिकार में जनजातियों के लिए अनुच्छेद 23 में व्यवस्था की गई है। इस अनुच्छेद में दुर्व्यवहार और बेगार को गैरकानूनी बताया गया है। अनुच्छेद 23(2) इस बात का प्रतीक है कि अनुसूचित जनजातियों को भी सबके बराबर रखा जाएगा।

अनुच्छेद 25 में जनजातियों को धर्म सम्बन्धी स्वतन्त्रता का अधिकार दिया गया है। सभी सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं में जनजातियों को प्रवेश दिया जाएगा। इस व्यवस्था के कारण जनजातियाँ अपने-अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं।

अनुच्छेद 29 एवं 30 संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों को संरक्षण दिया गया है। इसमें किसी भी राज्य द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थान में प्रवेश लिया जा सकता है।

अनुच्छेद 30(1) के अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रूचि के शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 30(2) में यह स्पष्ट किया गया है कि इन शिक्षा संस्थानों को सहायता देने में राज्य किसी प्रकार का विभेद नहीं करेगा।

राज्य को निर्देश : संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 46 के अनुसार राज्य कमज़ोर तबकों के लोगों को विशेषकर अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को विशेष रूप से बढ़ावा देगा एवं हर प्रकार के सामाजिक अन्याय एवं शोषण के विरुद्ध उन्हें संरक्षण प्रदान करेगा। इस उपबंध को विशेष रूप से इसलिए भी शामिल किया गया है कि यदि राज्य सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के उद्देश्य से कोई विशेष व्यवस्था करे तो उसे नागरिकों में भेदभाव के आधार पर किसी न्यायालय में चुनौती न दी जा सके।

संविधान के छठे भाग के अनुच्छेद 164(1) के अनुसार बिहार, मध्यप्रदेश और उड़ीसा राज्यों में जनजातियों के कल्याण तथा हितों की सुरक्षा के प्रयोजन से एक मंत्री की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है।

अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र : अनुच्छेद 244 तथा पांचवीं और छठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 244(1) के अनुसार पांचवीं अनुसूची के उपबन्ध आसाम, मेघालय राज्यों से भिन्न किसी राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए लागू होंगे।

अनुच्छेद 244(1) से संलग्न पांचवीं अनुसूची भाग 'ख' अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से सम्बन्धित है। इसके लिए राज्यपाल के लिए आवश्यक है कि उनसे जब भी अनुसूचित क्षेत्रों की सूचना मांगी जाए प्रशासन की रिपोर्ट राष्ट्रपति को दें एवं उनका आदेश प्राप्त करें। इस अनुसूची में जनजातीय सलाहकार परिषदों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है।

राज्यपाल अपने राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में शान्ति बनाए रखने एवं प्रशासन को भली-भाँति संचालित करने के लिए नियम भी बना सकते हैं ये नियम भूमि हस्तांतरण को रोकने, व्यापारियों की गतिविधियों को नियंत्रित करने से सम्बन्धित हैं।

अनुच्छेद 244 के अंतर्गत पांचवीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है। संविधान में 'अनुसूचित क्षेत्र' शब्द से ऐसे क्षेत्र परिभाषित होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित घोषित किए जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय

निर्देश दिए जा सकते हैं कि कोई भी अनुसूचित क्षेत्र और उसका कोई भाग अनुसूचित क्षेत्र का भाग नहीं रहेगा। सामान्यत: अनुसूचित क्षेत्र का आशय उन क्षेत्रों से है जहाँ जनजातीय जनसंख्या की बहुलता हो।

इसी तरह अनुच्छेद 244 तथा 275 के अंतर्गत छठी अनुसूची में पूर्वोतर के राज्यों आसाम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिज़ोरम में स्वायत्त परिषदों की व्यवस्था की गई है।

जनजातीय सलाहकार परिषद : इस परिषद की स्थापना अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों में की जा सकती है। जनजातीय सलाहकार परिषद की भूमिका राज्य में जनजातियों के कल्याण एवं प्रगति से संबंधित मामलों में सलाह देने की होती है।

जनजातीय विकास के लिए अनुदान वितरण : केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों को जनजातीय लोगों के विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन द्वारा विशेष धनराशि प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। भिन्न-भिन्न राज्यों के लिए भिन्न-भिन्न राशियाँ नियत की जाती हैं।

वन अधिकार अधिनियम : वन अधिकार अधिनियम, वन में रहने वाले आदिवासी समुदायों को वन संसाधनों पर उनके अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है। जिन पर ये समुदाय आजीविका, आवास और अन्य सामाजिक-सांस्कृतिक जरूरतों सहित विभिन्न जरूरतों के लिए निर्भर करते हैं।

अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) पंचायत अधिनियम(पेसा) : इसके तहत अनुसूचित क्षेत्रों का पंचायतों के माध्यम से विस्तार करने का प्रावधान किया गया है। पेसा ग्राम समितियों और पंचायतों के माध्यम से आदिवासी स्वशासन सुनिश्चित करता है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम : इस अधिनियम के तहत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के साथ घृणात्मक, अस्पृश्तापूर्वक तथा किसी भी तरह का अमानवीय व्यवहार निषेध है।

इसके अलावा जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पूरे देश में 27 जनजातीय शोध संस्थान TRI(Tribal Research Institutes) स्थापित किए गए हैं। जिनके तहत जनजातीय लोगों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक जीवन का स्तर सुधारने और प्रोत्साहित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत कई तरह की योजनाएं क्रियान्वित होती हैं।

अंबेडकर ने अपनी पुस्तक "Communal Deadlock And Ways to Solve It" (1945) में अनुसूचित जनजातियों के बारे में इस प्रकार लिखा है "अनुसूचित जनजातियों ने अभी तक अपने राजनीतिक अवसरों का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए कोई राजनीतिक समझ विकसित नहीं की है और वे आसानी से बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक के हाथों में मात्र उपकरण बन सकते हैं और इस तरह खुद का कोई भला किए बिना संतुलन को बिगाड़ सकते हैं। उनके विकास के वर्तमान चरण में मुझे लगता है कि इन पिछड़े समुदायों के लिए उचित काम यह है कि एक वैधानिक आयोग की स्थापना की जाए जो अब 'बहिष्कृत क्षेत्रों' के प्रशासन के लिए उसी आधार पर काम करे जैसा कि दक्षिण अफ्रीकी संविधान के मामले में किया गया था। प्रत्येक प्रांत जिसमें ये

बहिष्कृत क्षेत्र स्थित हैं, को इन क्षेत्रों के प्रशासन के लिए एक निर्धारित राशि का वार्षिक योगदान देने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए।"

डॉ० आंबेडकर ने साइमन कमिशन से दलित और आदिवासी तबके के लिए वयस्क मताधिकार की भी वकालत की। साइमन कमीशन के प्रश्न संख्या 112 के उत्तर में अपनी बात स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा, कि "मेरी राय में आदिम जनजाति (आदिवासियों) को मताधिकार देने में कोई हर्ज़ नहीं है।"

हालाँकि अपने इस जवाब में उन्होंने क्रिमिनल ट्राइब को मताधिकार देने में असहमति जताई थी क्योंकि उनका कहना था वे अपने व्यवसाय के कारण इस तरह के है कि केवल अपने समुदाय के हितों में ही अधिक रूचि रखते हैं। वे उन साधनों के बारे भी ज्यादा सोच-विचार नहीं करते, जिनके द्वारा वे रोज़ी-रोटी कमाते हैं।

डॉ० आंबेडकर ने आदिवासियों के मताधिकार का विरोध नहीं किया किन्तु इन आपराधिक जनजातियों में कोई भी आदिवासी जैसे मुंडा, भिलाला, खड़िया, उरांव, कोरकू, बैगा आदि शामिल नहीं थे। डॉ० आंबेडकर ने साफ़ शब्दों में आदिवासी मताधिकार का समर्थन किया था। क्रिमिनल ट्राइब यानी आपराधिक जनजाति की उन्हें चिंता तो थी चूँकि आपराधिक जनजाति तत्कालीन समाज और ब्रिटिश शासन दोनों के सामने बेहद एक खराब और आपराधिक छवि रखती थी, अत: चुनौतीपूर्ण घड़ी में जब दलित और आदिवासी को बड़ी मुश्किल से संवैधानिक अधिकार मिलने का मौका मिला है, तब इनके साथ आपराधिक जनजाति को जोड़ देने से दलितों और आदिवासियों को भी इनकी आड़ में अपने वाजिब हक़ से हाथ न धोना पड़ जाए। यदि बाबासाहेब दलितों और आदिवासियों के साथ आपराधिक जनजातियों की भी वकालत करते तो यह कदम दलित और आदिवासी समुदायों को भी अपने वाजिब हक़ से महरूम कर सकता था इसलिए यहाँ पर समय की नजाकत को भांपते हुए उन्होंने अपना ध्यान केवल दलित और आदिवासियों पर ही केन्द्रित रखना बेहतर समझा।

अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण की बात करें तो आज दलित/आदिवासियों में जो शिक्षा, रोज़गार, राजनीति आदि में भागीदारी बढ़ी है, उसके पीछे आरक्षण की बड़ी अहम भूमिका रही है। संविधान में दलित और आदिवासी के लिए आरक्षण का प्रावधान डॉ० आंबेडकर के प्रयासों से ही संभव हो पाया, जो उन्होंने इन दोनों तबको के अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी सुरक्षित किया। आदिवासी चिन्तक और नेता जयपाल सिंह मुंडा ने जो आदिवासियों के लिए स्वायत्ता की मांग कर रहे थे, भी डॉ० आंबेडकर की दलित और आदिवासियों के आरक्षण के मुद्दे पर उनका समर्थन करते हुए इसे लोकतंत्र के लिए अवश्य बताया-

"यहाँ तक कि वे प्रान्त, जिनमें प्रभुत्वशाली पार्टी के आदिवासी वर्ग से सहानुभूति रखने वाले नेता हों, वहाँ भी आप इनके लिए कोई करुणा नहीं पाएँगे। लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन उन्हें अपने दिल से पूछना चाहिए कि उनमें ऐसा क्या है, जो इन लोगों को जंगलों से लाकर विधायिका में लाने से रोकता है?.... यह जरूरी है कि इन लोगों(आदिवासियों) को जंगलों से संसद और अन्य सार्वजनिक स्थानों में लाया जाए। इसके लिए आरक्षण जरूरी है।"

जयपाल सिंह मुंडा केवल आदिवासियों के लिए ही आरक्षण के हिमायत नहीं की बल्कि वे सभी वंचित तबकों के लिए आरक्षण बहुत जरूरी समझते थे :

"आरक्षण सभी पिछड़े लोगों के लिए बेहद जरूरी है, चाहे वे आदिवासी हों या अनुसूचित जाति या मुस्लिम या जैन। एक बार जब आप उन्हें उच्च स्तर तक पहुंचाने के लिए प्रयास करेंगे तो पाएँगे कि पृथकता का सवाल ही पैदा नहीं होता इसलिए एक आदिवासी प्रतिनिधि होने के नाते मैं आरक्षण के सिद्धांत को स्वीकार करने में शर्म महसूस नहीं करता।"

जिस तरह लोगों के मनों में आज दलितों और आदिवासियों के आरक्षण के लिए आक्रोश रहता है, यह उस समय भी था लेकिन इस विपरीत परिस्थिति में भी डॉ० आंबेडकर सदन को आरक्षण के लिए मनवा पाए। यह डॉ० आंबेडकर की व्यक्तिगत योग्यता से ही सम्भव हो पाया। टीएचपी चेनथर्सरी महोदय अपनी पुस्तक 'हिस्ट्री ऑफ़ द इंडिजिनियस इंडियन' में लिखते हैं :

"जब डॉ० आंबेडकर पर संविधान सभा के सदस्यों ने आरक्षण लागू न करने का दवाब बनाया, तो उन्होंने एक ठोस कदम उठाते हुए असहयोग का तीखा हथियार अपनाया। तब जवाहर लाला नेहरू, मुखर्जी और पटेल ने इसकी नजाकत समझते हुए डॉ० आंबेडकर के मौन विरोध का अर्थ समझा। तब एक समझौते के रूप में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण ड्राफ्ट का प्रावधान लागू हुआ।"

उस समय आरक्षण के मुद्दे को लेकर डॉ० आंबेडकर पर विभिन्न नेताओं द्वारा दवाब बनाया गया। जिसकी प्रतिक्रिया में डॉ० आंबेडकर ने न केवल संविधान पर लिखा बंद कर दिया बल्कि उन्होंने अपना इस्तीफा तक तैयार कर रखा था। तब इस तरह के हालत देखकर खुद सरदार पटेल डॉ० आंबेडकर के पास गए और उनका इस्तीफा अपने हाथ से फाड़ दिया तथा दलितों और आदिवासियों के लिए आरक्षण की बात को स्वीकार किया क्योंकि उन्हें अब तक इस बात का अच्छी तरह अहसास हो चुका था कि पूरी संविधान सभा में डॉ० आंबेडकर के सिवाय कोई अन्य व्यक्ति नहीं है जो यह महत्त्वपूर्ण काम को कर सके।

निष्कर्ष:-

वस्तुत: भारत के आदिवासियों की समस्याएँ सैंकड़ों वर्षों से अनसुलझी बनी हुई थी। भारत में संविधान निर्माण के साथ संविधान के निर्माताओं ने भारत के हर वर्ग की समस्याओं का ध्यान रखा था। इसमें दलितों, आदिवासियों की समस्याओं को हल करने के लिए विशेष ज़ोर दिया गया। बाबा साहेब की ड्राफ्टिंग कमेटी ने आदिवासियों, दलितों के विकास के लिए आधारभूत प्रावधान संविधान सभा में प्रस्तुत किए थे। आंबेडकर और जयपाल सिंह मुंडा जैसे नेताओं की लम्बी बहस के बाद संविधान सभा में दलितों और आदिवासियों के अधिकार सुनिश्चित किए गए। आज भी बाबासाहेब का संविधान दलितों और आदिवासियों के हर आन्दोलन का हिस्सा बनता है। संविधान में उल्लिखित प्रावधानों द्वारा प्रदत्त अधिकारों द्वारा वे अपनी सुरक्षा, विकास और आत्मनिर्भरता को सुनिश्चित कर रहे हैं। न्यायपालिका ने समय-समय पर संविधान में लिखित प्रावधानों को अधिक स्पष्ट किया है। तथापि बदलते समय के साथ आदिवासी और दलितों की समस्याओं में भी बदलाव हुआ है। आज शिक्षा, रोज़गार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व से आगे समावेशी विकास एक चुनौती के रूप में खड़ा हुआ है। जलवायु परिवर्तन ने भी आदिवासियों को अत्यधिक प्रभावित किया है। आज इन बदलती समस्याओं के समाधान के प्रयास अधिक महत्त्वपूर्ण है। आज विकास के हर पायदान पर आदिवासी और दलित की

हिस्सेदारी बनी हुई है लेकिन फिर भी अब यह जिम्मेदारी दलित और आदिवासियों की है कि वे आपस में तथा समाज के दूसरे तबकों के साथ तालमेल बढ़ाकर किसी तरह लोकतंत्र में अपनी प्रभावी हिस्सेदारी को और विस्तार दें।

संदर्भ सूचीः-

1. जोधपुर विश्वविद्याल ग्रंथालय, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण 1959, पृ० 1
2. कातुलकर, डॉ० रत्नेश, बाबासाहेब डॉ० आंबेडकर और आदिवासी प्रश्न, सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ० 36-37
3. वही, पृ० 37-38
4. Dr. Babasaheb Ambedkar: Writings and Speeches of Dr. Babasaheb Ambedkar (1987), Vol. 3, government of Maharashtra p.92
5. वही, 41
6. कातुलकर, डॉ० रत्नेश, बाबासाहेब डॉ० आंबेडकर और आदिवासी प्रश्न, सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ० 29
7. सं० पंकज, अश्विनी कुमार ,संविधान सभा में आदिवासी, प्यारा केरकेट्टा फाउंडेशन, रांची, प्रथम संस्करण 2020
8. वही।
9. कातुलकर, डॉ० रत्नेश, बाबासाहेब डॉ० आंबेडकर और आदिवासी प्रश्न, सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ० 47-48